समाचार.प्रकाषनार्थरू.

कुषाभाउ ठाकरे तरणताल ;स्वीमिंग पुलद्ध14 अप्रैल से होगा प्रारंभ

रतलाम 10 अप्रैल । सिविक सेंटर स्थित कुषाभाउ ठाकरे तरणताल विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार 14 अप्रैल से तैराकी हेतु नागरिकों के लिये प्रारंभ किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि जो कि सिविक सेंटर स्थित कुषाभाउ ठाकरे तरणताल कोरोना के चलते बंद किया गया था। विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार तरणताल प्रारंभ किये जाने हेतु तैयारियां पूर्ण की जा रही है। 14 अप्रैल से तरणताल ;स्वीमिंग पुलद्ध सीमित मात्रा में नागरिकों को सायं 6 से 10 बजे तक निर्धारित षुल्क पर प्रवेष दिया जायेगा।

सर्वाधिक कचरा संग्रहण करने वाले सफाई मित्रों का हुआ सम्मान

10 अप्रैल रविवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 246 ट्रीप

97 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 10 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयासों के चलते नगर निगम हर वो प्रयास कर रहा है जिससे की रतलाम शहर स्वच्छता की दौड़ में नम्बर .1 आकर देश में अपना नाम रोशन कर सके। शहर को सम्पूर्ण रुप से कचरा मुक्त करने के लिए कचरा संग्रहण वाहन हर दिन प्रत्येक वार्ड में पांच से सात फेरे लगा रहे है। आज वार्ड क्रमांक 11 के कचरा संग्रहण वाहन ने रिकार्ड सात फेरे लगाए। इनके इस प्रयास पर कचरा संग्रहण वाहन चालक और हेल्पर का सम्मान किया गया।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहां कि नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी शहर की स्वच्छता को लेकर गंभीर है। स्वच्छता से जुड़े हर कार्य की

प्रत्येक दिवस समीक्षा की जा रही है और होने वाली भूलों के सुधार के प्रयास निरन्तर जारी है। स्वच्छता को लेकर सजग और सर्तक निगमकर्मी निरन्तर सम्मानित हो रहे और जो तनिक मात्र भी चूक करते है वो दण्ड के भागीदार होते है।

उन्होने कहां कि हमारे रतलाम शहर का नाम स्वच्छता की दौड़ में अव्वल रहे। इसके लिए बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हे प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड क्रमांक 11 ;डोगरे नगरद्ध से सर्वाधिक कचरा संग्रहण करने वाले कचरा वाहन चालक श्री सुनील मांगीलाल व वाहन के हेल्पर श्री तूफान बाबूलाल का तिलक निकाल कर स्वागत किया गया। इन्हे फूलमाला व श्रीफल भेंट कर बेहतर कार्य के लिए प्रमाण.पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर झोन प्रभारी श्री किरण चौहान सहित झोन के सफाईमित्रए जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्रीय नागरिकगण उपस्थित रहे।

श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि स्वच्छता में सभी की भागीदारी हो। अपने घरों व दुकानों का कचरा सडक़ए नाले व नालियों में नही फेकते हुए। गीला और सूखा कचरा वाहन में भी डाले। अगर नागरिक शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र में शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर.1 बनाने की ठान लेगे तो वो दिन दूर नही जब रतलाम सेवए साड़ी और सोने के साथ ही देश में सफाई के लिए भी नई पहचान बना लेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 10 अप्रैल रविवार को 97 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

10 अप्रैल रविवार को डम्पर से 18155 किलोए टेªक्टर से 8465 किलोए मैजिक सूखा कचरा 44145 किलोए मैजिक गीला कचरा 2485 किलोए सेनेटरी वेस्ट 3 किलो व हानिकारक कचरा 402इस तरह कुल 97257ण्2 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 10 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अप्रैल रविवार को 10 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार विनोद डांगी पर 2500ए सपना.प्रदीप कटारिया पर 2000ए बालाजी डिस्पोजल पर 1000ए षिवनारायण तिवारी व मोहित पर 300.300ए मनीशए आषा स्वीट्स पर 250.250ए मनीश जोषीए खुषी चाट सेन्टर व देवेन्द्रसिंह चौधरी पर 200.200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए विजय मेहनाए मनीश झांझोटए अंकित पुरोहितए राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

बिना सूचना के अनुपस्थित 5 ड्रायवर व 6 हैल्पर का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 10 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार बिना सूचना के अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के चालक विषालए विकासए राजेष वर्माए कैलाष परमारए रूपेष चावरेए हैल्पर लखन चावरेए विक्की.दिनेषए सुनीलए

संदीपए जितेन्द्र व मुकेष का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

22 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 10 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 16 व दोपहर में 6 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

10 अप्रैल रविवार को झोन क्रमांक 1 में सुनील.सोहनलालए षांतिबाई.सुरेषए लखन. रविन्द्रए बादल.दिलीपए अजय.विनोदए विक्की.दिलेषए झोन क्रमांक 2 में मंजूबाई पति राधाकिषनए नानालाल.रमेषए संगीताबाई पति हरिषए सुगनाबाई पति षंकरए रवि.सुरेषए मनोज.भाईजीभाईए संतोश.प्रहलादए झोन क्रमांक 3 में महेष.रमेषए संजय. हीरालालए झोन क्रमांक 4 में मनीश.मुकेषए दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में दयाराम.मुंषीए वर्शाबाई पति पवनए षीलाबाई.अब्जीए षकुन्तलाबाई पति रामचन्द्रए सोनदीप.सुदेष व पुश्पाबाई पति गोपाल इस तरह 22 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेष

रतलाम 10 अप्रैल । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर के विभिन्न चौराहोए सार्वजनिक स्थलोंए षासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेष देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ.स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेष दिया जा रहा है।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध
30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट
रतलाम 10 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।
रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।
कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 10 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2⁰0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 10 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टे्षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टे्षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000६ एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500६ प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 10 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्10ण्04ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण